उत्तर प्रदेश भवन
एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

द्वितीय तल, ए एण्ड डी ब्लाक, किसान मण्डी भवन

विभूति खण्ड लखनऊ - 226010

टेलीफोन : 91-522-2723921, ई-मेल : upbocboardlko@gmail.com

पत्रांक : /भ0नि0बो0–( )–23 दिनांक :

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तत्संबंधी उ0प्र0 नियमावली, 2009 के अन्तर्गत 40 प्रकार के निर्माण गतिविधि में कार्यरत 18–60 वर्ष आयु के आवेदकों का पंजीकरण किया जाता है इसके लिये आवेदक द्वारा 90 दिन का नियोजन प्रमाण–पत्र सेवायोजक से प्रदत्त अथवा स्वयं इस आशय की घोषणा–पत्र कि उसने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया है, संलग्न करना अनिवार्य है। उसके उपरान्त वह बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पाने हेतु पात्र होता है। यदि किसी श्रमिक द्वारा गलत जानकारी/अभिलेख अथवा कपट पूर्ण तरीके से पंजीकरण, नवीनीकरण कराया गया है अथवा योजना का हितलाभ प्राप्त किया गया है तो उसके विरूद्ध आई0पी0सी0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने एवं हितलाभ के रूप में प्राप्त की गयी धनराशि को भू – राजस्व की भाँति वसूल किये जाने का प्रावधान है।

उपर्युक्त क्रम में यदि पंजीकृत श्रमिक अपना पंजीकरण अपात्रता के कारण वापस लेना चाहे तो वह अपने जनपद के श्रम कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से अपना पंजीकरण निरस्त करा सकता है।

(निशा अनंत)

R-2690 **सचिव, बोर्ड।**